



सम्पदा अनुभाग
आई सी० ए० आर० – भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली
Estate Section
ICAR - Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly



पत्रांक संख्या 9-1/2019-20/सम्पदा

दिनांक 12/05/2020

कार्यालय आदेश


आवास आबंटन समिति की संस्तुति पर, निदेशक महोदय, भा० प० चि० अनु० संस्थान, इज्जतनगर, के द्वारा संस्थान में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को आवास आबंटित करने कि सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है:-

परिवर्तन / वरिष्ठता के आधार पर आबंटित आवास

क्र० सं०	नाम एवं पद	वर्तमान आवास संख्या	आबंटित आवास संख्या
टाईप-V आवास			
1.	डा० एम० शंकर, व० वैज्ञानिक	Type V – Qr. No. 02
टाईप-IV आवास			
2	डॉ० जैड०बी०डूबल, व० वैज्ञानिक	Type - IV D Qr. No. 29	D- Type IV Qr. No. 12.
3	डा० सामीनाथन एम०, वैज्ञानिक	Type III Qr. No. 03	Type IV Qr. No. 17.
4	डा० सागर चन्द्र, वैज्ञानिक	Type III Qr. No. 35	Type-IV/58
5	श्री अशोक कुमार सिंह, तकनीकी अधिकारी	G Type II Qr. No. 08	Type IV-38***
6	श्री मनीष श्रीवास्तव, सहा० प्रशा० अधिकारी	पी०एण्ड टी०	Type -IV (D)- 10,***
टाईप-III आवास			
8	श्री एस०शेखर मिश्रा, सहायक	New Type III Qr. No. 50	A-Type-III Qr. No. 01
9	श्री राकेश गिरी, अवर लिपिक	NEW Type-I Quarter No. 75	New-Type – III/54***
10	श्री संजय कुमार सिंह, कु०सह०कर्म०	NEW Type-II 30	New Type –III, Qr. No. 56***
11	श्री प्रेम कुमार, यू०डी०सी०	New Type II Qr. No. 02	A-Type-III Qr. No. 02***
12	श्री रिमेश वर्मा, टी-1	-----	Type-III (New) Qr. No. 52***
13	श्री अरुण कुमार, टी-1	-----	Type-III (New) Qr. No. 37***
14	श्री सुधीर शर्मा, टी-1	-----	Type-III –F Qr. No. 30***
15	श्री गजेन्द्र कुमार तिवारी, टी.1	-----	Type-III –F Qr. No. 27***
टाईप-II आवास			
16	श्री खान मोहम्मद, कु०सह०कर्म०	Type I Quarter No. 07	B-Type-II Qr. No. 73

***टाईप-III & IV आवास (वरिष्ठता के आधार पर) कर्मचारियों को परिषद के पृष्ठांकन संख्या No. GAC-21-40/2018 – CDN dated 27th June, 2018 and Instt. Circular No. 6-1/2017 – Estate dated 3rd April, 2019 के पैरा संख्या 36 के आधार पर आबंटित किये गये हैं, जिनमें आवासों के खाली रहने की स्थिति में एक ग्रेड ऊपर अथवा एक ग्रेड नीचे Normal Licence fee पर आवास आबंटित करने का प्रावधान है। आवास आवंटन के सम्बन्ध में शर्तें इस आदेश के साथ संलग्न हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


12.5.20
(नसीर अहमद)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (सम्पदा)

वितरण:-

1. कार्यालय आदेश में वर्णित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके आसन्न अधिकारियों के माध्यम से।
2. संयुक्त निदेशक, (कैडराड) एवं अध्यक्ष, आवास आबंटन समिति, भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
3. नियंत्रक, भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
4. सहा0 प्रशा0 अधिकारी (O.P.R/A/C-I & II) भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
5. प्रभारी अधिकारी, अभियान्त्रिकी अनुभाग, भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर को इस आशय के साथ कि उपरोक्त आवासों में यदि कोई मरम्मत आदि कि व्यवस्था कि जानी है तो उसे शीघ्र पूर्ण करें ताकि सम्बन्धित कार्मिक, आवास को शीघ्र ग्रहण कर सकें और संस्थान को **Revenue loss** से बचाया जा सके।
6. निदेशक के व्यक्तिगत सचिव, भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
7. सहा0 प्रशा0 अधिकारी (ई-1 / II/ III) भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।
8. श्री गोपाल राम, एस0एस0एस0 (सम्पदा अनुभाग) भा0 पशु0 चि0 अनु0 संस्थान, इज्जतनगर।

(Handwritten signature)
[Illegible text]

आवास आबंटन की शर्तें

1. आबंटिती को इस आदेश की प्राप्ति से आठ (8) दिन के अन्दर आवास के आबंटन को स्वीकार करना होगा। यदि वे ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इस आदेश को स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा और Central Govt. General Pool Residential Accommodation Rules – 2017 of Directorate of Estate के नियमानुसार 17(1) “ if any allottee fails to accept the allotment of a residential accommodation within eight days from the date of allotment of the said accommodation, or fails to take possession of that accommodation within five working days from the date of receipt of the letter authorisation, he shall be debarred to apply for accommodation for a period of three months from the date of non- acceptance of allotment subject to payment of one month's normal license fee for that type of accommodation” के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी।
2. आवास के अधिभोग की तिथि के बारे में निश्चित रूप से अधिभोग की तिथि से 5 दिन के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें।
3. लाइसेन्स फीस आवास में दाखिल होने या आबंटन पत्र के जारी होने की तिथि के आठवें दिन, जो भी पहले हो, से वसूली जाएगी। उनके वेतन बिल से माहवार पानी एवं विद्युत प्रभार के अतिरिक्त एफ0आर 45-ए के तहत आवश्यकीय लाइसेन्स फीस वसूली जायेगी।
4. आवास रिक्त करने की तिथि से 10 दिन से पहले ही स्पष्ट सूचना देकर आबंटन का समर्पण किया जा सकता है। देय सूचना नहीं देने पर कम हुई सूचना अवधि के लिए किराया अदा करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे समर्पण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए आबंटिती को संस्थान में आवास के आबंटन के लिए दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। आबंटिती को सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के लिए आवास एव उसके परिक्षेत्र को स्वच्छ एवं साफ-सुथरा रखना होगा।
5. सक्षम अधिकारी के निर्देशों के विपरीत आबंटिती को कोई पेड़ या झाड़ी नहीं लगानी होगी।
6. आबंटिती को सक्षम अधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमति लिये बिना किसी गार्डन, घर के बाहर की जमीन या आवास से लगे हुए अहाते में उगे हुए किसी पेड़-पौधे की छटाई नहीं करनी होगी।
7. आवास आबंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए यदि वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा या साग-सब्जी उगाई जाएगी और मुर्गी या गाय पालन का कार्य किया जाएगा तो आबंटिती की स्वयं की लागत से ऐसे कार्यों को बन्द कराया जा सकता है।
8. आबंटन किये गये आवास के किसी भाग या पूरे आवास को आबंटिती किराये पर नहीं देगा। लेकिन सक्षम अधिकारी को पूर्व लिखित अनुमति से संस्थान के कर्मचारियों के साथ आवास को शेयर किया जा सकता है।
9. कृपया संस्थान परिसर को स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।
10. घरेलू कार्यक्रमों में पॉलीथीन, single use plastic / Thermocol आदि का प्रयोग ना किया जाये अन्यथा आवास का आबंटन रद्द करने योग्य माना जायेगा।